

पत्रांक-भवन/विधि-विविध-19/2017.....203 (2)/
बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

प्रेषक,

चन्द्रशेखर प्रसाद सिंह,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

Email/Fax

सभी कार्यपालक अभियंता-सह,
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
भवन निर्माण विभाग (लखीसराय/शेखपुरा/बेगूसराय/सासाराम/जहानाबाद/जमुई
/केन्द्रीय भवन प्रमंडल/बांका /किशनगंज /पूर्णिया /विद्युत कार्य प्रमंडल,
दरभंगा/संरचना भवन प्रमंडल, दरभंगा/गोपालगंज/सीवान/समस्तीपुर/
खगड़िया/गया को छोड़कर)

पटना, दिनांक:- 8/1/18

विषय:-

माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित Writ petition (s) NO-318/2006 National Campaign Committee C.L. Labour Versus Union of India & others के निदेश के आलोक में लंबित जमा उपकर (Cess) की राशि अविलम्ब बोर्ड का Transfer करने के संबंध में।

प्रसंग:-

विभागीय पत्रांक-8699 दिनांक-22.09.2017

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसांगिक पत्र के माध्यम से श्रमायुक्त, बिहार, पटना द्वारा प्रेषित ज्ञापांक-602 दिनांक-24.08.2017 की प्रतिलिपि संलग्न कर आपसे सम्बद्ध विषय के संबंध में प्रतिवेदन की मांग की गयी थी, जो कि अब तक अप्राप्त है। अतएव निदेश दिया जाता है कि अविलम्ब प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध करायें, यदि संबंधित प्रतिवेदन को ससमय उपलब्ध नहीं कराने से विभाग को किसी विपरीत स्थिति का सामना करना पडता है, तो उसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

विश्वासभाजन

(चन्द्रशेखर प्रसाद सिंह)
सरकार के उप सचिव।

8/1/18